कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्लॉट 35–ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 1456 / तकनीकी–09 / 2016 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2016

प्रति

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय – हक–त्याग के दस्तावेजों पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुकाए जाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयांतर्गत वरिष्ठ जिला पंजीयकों/जिला पंजीयकों की प्रदेश स्तरीय बैठक दिनांक 17 एवम् 18 मार्च, 2016 में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अनेक जिलों में नामांतरण के मामलों में समस्त वारिसों के स्थान पर, कुछ वारिसों से इस आशय का शपथ–पत्र लेकर अन्य वारिसों के पक्ष में नामांतरण कर दिया जाता है कि उन्हें अपना हक अन्य वारिसों के पक्ष में छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। विशेष रूप से महिलाओं द्वारा दिए गए कथित शपथ–पत्रों के आधार पर उन्हें संपत्ति के स्वामित्व से वंचित किए जाने के मामले भी अक्सर प्रकाश में आते हैं।

वस्तुतः ऐसा दस्तावेज शपथ–पत्र न होकर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 54 के अधीन हक–त्याग विलेख (Release deed) की श्रेणी में आता है। इसके अनुसार Release means any instrument whereby a person renounces a claim upon another person or against any specified property.

जी दयानंद विरूद्ध आंध्रप्रदेश राज्य, एआईआर 1973 एपी 275 के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि – The word release is not defined either under the Transfer of Property Act, 1882 or under any other enactment, including the Indian Stamp Act, 1899. However, its connotation is that, one of the owners of the property, releases his legal rights and obligations in favour of the rest of the co-owners. Such release can be with or without any consideration. The transferee under a sale is an altogether stranger, whereas in the case of release, he happens to be an existing co-owner. इसी प्रकार राजस्थान राज्य विरूद्ध अलौकिक जैन एआईआर 1998 राजस्थान 348 के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया गया है कि – A document containing renouncement of share by one co-sharer in favour of another co-sharer is release deed.

निरन्तर 2

यदि हक–त्याग परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में किया गया हो, तो दस्तावेज पर संपत्ति के उस शेयर, जिस पर त्याग किया गया है, के बाजार मूल्य अनुसार 2.5 प्रतिशत् की दर से स्टाम्प शुल्क देय होता है, अन्यथा स्थिति में शुल्क की दर 5 प्रतिशत है। हक–त्याग भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 (14) के अंतर्गत लिखत की परिभाषा में आता है और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार ऐसे दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण भी अनिवार्य है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में कृपया नामांतरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त विधिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जहां एक ओर नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकार सुरक्षित रहें, वहीं दूसरी ओर स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व की क्षति भी न हो।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 1457 / तकनीकी–09 / 2016 भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2016

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक / जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश – संबंधित राजस्व अधिकारियों एवम् नगरीय निकाय के अधिकारियों से व्यक्तिगत संपर्क कर हक–त्याग के दस्तावेजों पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुकाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश